(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
अपील : 194/2024
तारीख रजू : 21.09.2023 निर्णय दिनांक : 10.12.2024

उनवान

1. वेदप्रकाश यादव पुत्र स्व0 प्रभुदयाल यादव
2. श्रीमती रामकंवर पत्नी स्व0 सुभाषचन्द यादव
3. ईश्वर पुत्र स्व0 सुभाषचन्द यादव
4. रमेश पुत्र स्व0 सुभाषचन्द यादव
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम डवानी तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

– अपीलाण्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड, राज0

– रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अव्वल अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0 राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ बाबत इन्तकाल संख्या 44 दिनांक 17.11.1997 ग्राम डवानी तहसील बहरोड़

उपस्थित : श्री सुधीर शर्मा एड. – अपीलान्ट की ओर से।
पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

।। निर्णय ।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ द्वारा इंतकाल संख्या 44 दिनांक 17.11.1997 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को जाहिर करते हुए निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नबर 33 रकबा 1 बीघा, 103 रकबा 18 बिस्वा, 458 रकबा 1 बीघा, 367 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 380 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 158 रकबा 19 बिस्वा वाके मौजा डवानी तहसील बहरोड के 1/4 हिस्सा एवं आराजी साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 457 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 502 रक़बा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके मौजा डवानी तहसील बहरोड के 1/32 हिस्से के खातेदार विशम्भर पुत्र रामू थे जिन्होने अपनी उपरोक्त वर्णित सपूर्ण भूमि को दिनाक 24.04.1986 को अपने सगे भाई प्रभु दयाल पुत्र रामू को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान कर दी थी तथा कब्जा मौके पर संभला दिया था, तभी से ही प्रभुदयाल पुत्र रामू उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे। विशम्भर पुत्र रामू के द्वारा अपने भाई प्रभु दयाल पुत्र रामू के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र किये जाते समय सैटलमेंट की कार्यवाही विचाराधीन थी, इस कारण मुताबिक दान पत्र विशम्भर पुत्र रामू के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र रामू का नाम दर्ज नही हुआ। सैटलमेंट पश्चात आराजी साबिक खसरा नंबर 33 रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 17/0.28 एव साबिक खसरा नंबर 103 रकबा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 122/0.21 साबिक खसरा नबर 458 रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 446/0.27 साबिक खसरा नंबर 367 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 586/0.49. साबिक खसरा नंबर 380 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 347/0.40. साबिक खसरा नंबर 158 रकबा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

नंबर 159/0.20 वाके मौजा डवानी एवं आराजी साबिक खसरा नबर 433 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 465/010. 466/0.10, 467/0.09, 468/0.09 साबिक खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 446/0.27 साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 519/0.20, 520/0.21 521/0.10, 522/0.09 वाके मौजा डवानी तहसील बहरोड बने है। अपीलांट के पिता व ससुर व दादा प्रभुदयाल पुत्र रामू के द्वारा सैटलेमेंट पश्चात मुताबिक दान पत्र दिनांक 24.04.1986 विशम्भर पुत्र रामू के स्थान पर स्वयं का नाम दर्ज करवाने हेत पटवारी हल्का को दिये जाते समय महज साबिक खसरा नंबर 33 से बने हाल खसरा नंबर 17/0.28, साबिक खसरा नंबर 103 से बने हाल खसरा नंबर 122/0.21 एवं साबिक खसरा नंबर 380 से बने हाल खसरा नंबर 347/0.40 व साबिक खसरा नंबर 158 से बने हाल खसरा नंबर 159/0.20 वाके मौजा डवानी में विशम्भर पुत्र रामू के स्थान पर 1/2 हिस्से में अपीलांट के पिता, दादा व ससुर प्रभुदयाल पुत्र रामू का नाम अंकित कर दिया परंतु साबिक खसरा नंबर 458 रकबा 1 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 446/0.27 एवं साबिक खसरा नंबर 367 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 586/0.49 वाके मौजा डवानी तहसील बहरोड एवं आराजी साबिक खसरा नंबर 433 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 465/0.10, 466/0.10, 467/0.09, 468/0.09 साबिक खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 446/0.27, साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नबर 519/0.20, 520/0.21, 521/010, 522/0.09 वाके मौजा डवानी तहसील बहरोड में मुताबिक दानपत्र विशम्भर पुत्र रामू के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र रामू का नाम अंकित नही किया। मिलान क्षेत्रफल में भी साबिक खसरा नंबर 458 रकबा 1 बीघा से हाल खसरा नंबर 446/0.27 के स्थान पर 445/0.31 अंकित कर दिया जबकि खसरा पत्रक में स्पष्ट रूप से हाल खसरा नंबर 445/0.31 साबिक खसरा नंबर 459 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से बना है जो दीगर व्यक्ति गुरूदयाल वगैरहा के नाम से साबिक रिकॉर्ड अनुसार हाल रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है एवं साबिक खसरा नंबर 458 रकबा 1 बीघा वाके मौजा डवानी से हाल खसरा नंबर 446/0.27 वाके मौजा डवानी बना है जो आज भी साबिक रिकॉर्ड अनुसार खातेदारान के नाम विशभर पुत्र प्रभु हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा है। साबिक खसरा नंबर 433 से बने हाल खसरा नंबर 465/0.10. 466/010. 467/0.09, 468/0.09 वाके मौजा डवानी में से 465/010, 466/0 10, 468/0.09 दीगर व्यक्तियों के नाम दौराने सैटलमेंट स्थानांतरित कर दी गई तथा 467/0.09 आज दिवस भी साबिक रिकॉर्ड अनुसार विशम्भर पुत्र रामू हिस्सा 1/32 दर्ज चली आ रही है, इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 457 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 447/0. 36 वाके मौजा डवानी को दौराने सैटलमेंट दीगर व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया तथा साबिक खसरा नंबर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 519/0.30, 520/0.21, 521/0.10, 522/0.09, 523/0.10 वाके मौजा डवानी में से हाल खसरा नंबर 520/0.21, 521/0.10, 523/0.10 वाके मौजा डवानी आज दिवस भी विशम्भर पुत्र प्रभु के नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि आराजी हाल खसरा नंबर 522/0.09, 519/0.30 वाके मौजा डवानी दौराने सैटलमेंट दीगर व्यक्तियो के नाम अंकित कर दिया। साबिक खसरा नंबर 433 से बने हाल खसरा नंबर 467/0.09 व साबिक खसरा नंबर 502 से बने हाल खसरा नंबर 520/0.21, 521/0.10, 523/010 व साबिक खसरा नंबर 458 से बने हाल खसरा नंबर 446/0.27 एव साबिक खसरा नंबर 367 से बने हाल खसरा नंबर 586/0.49 वाके मौजा डवानी में दानकर्ता विशम्भर पुत्र रामू का नाम आज दिवस तक राजस्व रिकॉर्ड में अकित है, परंतु नामांतरण संख्या 44 ग्राम डवानी उपरोक्त खसरा नंबर में दर्ज नही किया। अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर साबिक खसरा नंबर 433 से बने हाल खसरा नंबर 467/0.09 व साबिक खसरा नंबर 502 से बने हाल खसरा नंबर 520/0.21, 521/010, 523/0.10 व साबिक खसरा नंबर 458 से बने हाल खसरा नंबर 446/0.27 एवं साबिक खसरा नंबर 367 से बने हाल खसरा नंबर 586/0.49 वाके मौजा डवानी में दानकर्ता विशम्भर पुत्र रामू के स्थान पर मुताबिक दानपत्र दिनांक 24.04.1986 अपीलांट के पिता, ससुर व दादा प्रभुदयाल पुत्र रामू का नाम नामांतरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पैरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि ग्राम डवानी के साबिक ख०न० 33 रकबा 1 बीघा, ख०न० 103 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 458 रकबा 1 बीघा, ख0न0 367 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख०न० 380 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 158 रकबा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

19 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा का 1/4 हिस्सा तथा ख0न0 433 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 457 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का हिस्सा 1/32 हिस्सा का हिबानामा विशम्भर पुत्र रामू कौम अहीर सा० डवानी के द्वारा अपने भाई प्रभूदयाल पुत्र श्री रामू के हक में दिनांक 29.05.1986 को पंजीबद्ध करवाया गया। साबिक ख0न0 33, 103, 458, 367 380, 158 के हाल ख०न० नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से ख0न0 17 रकबा 0.28, 122 रकबा 0.21 545 रकबा 0.31, 586 रकबा 0.49, 347 रकबा 0.40, 159 रकबा 0.20 कुल किता 6 कुल रकबा 1.89 हैक्टयर बदोबस्त सम्वत 2042 के बनाये गये है। जिसमें ख0न0 445 रकबा 0.31 उक्त निष्पादनकर्ता विशम्भर पुत्र रामू वगै० अहीर के बजाय गुरुदयाल पुत्र श्री दयाराम, मथुरा पुत्र श्री डालू कौम अहीर साह० देह के नाम बदोबस्त सम्वत 2042 में दर्ज है। बाकी शेष किता 5 रकबा 1.58 हैक्ट विशम्भर पुत्र रामू का हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया है। साबिक ख०न० ख0न0 433, 457, 502 किता 3 रकबा 5 बीधा 14 बिस्वा जिसमें विशम्भर द्वारा हिस्सा 1/32 का हिबा किया गया हैं। मुताबिक बदोबस्त सम्वत 2042 के ख0न0 465, 466, 467, 468, 446, 519, 520 521 522, 523 कुल किता 10 कुल रकबा 1.45 है0 बनाये गये है। ख0न0 446 बिशम्बर पुत्र श्री रामू का हिस्सा 1/4 तथा ख0न0 520, 521 523, 467 में हिस्सा 1/32 दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 465, 466, 468, 519, 522 में बिशम्बर का नाम दर्ज नही किया गया हैं। बदोबस्त सम्वत 2042 एवं साबिक रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि ख०न० हाल 17 रकबा 0.28, ख0न0 122 रकबा 0.21, ख0न0 586 रकबा 0.49, ख0न0 347 रकबा 0.40, ख०न० 159 रकबा 0.20 किता 5 रकबा 1.58 का हिस्सा 1/4 मुताबिक हिबानामा के नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में साबिक खसरा नम्बर 533 से हाल बने खसरा नम्बर 445, 466, 468 तथा साबिक खसरा नम्बर 502 से बने हाल खसरा नमबर 519, 522 दीगर खातेदाराने के नाम वक्त बन्दोबस्त होने के कारण विशम्भर पुत्र रामू का नाम अंकित नही होने से मुताबिक दानपत्र अमल किया जाना सम्भव नही होना जाहिर किया। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में यह भी जाहिर किया कि खसरा नम्बर 457 से बने खसरा नम्बर 446 अपीलाण्टगण के नाम दर्ज है। अंत में राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में जाहिर किया कि दानकर्ता के नाम भूमि दर्ज नही होने से नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 17.11.1997 सही है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व सरकार पैरोकार का जवाब व बहस का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार बहरोड़ के द्वारा नामांतकरण संख्या 44 दिनांक 29.08.1989 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बहरोड़ के द्वारा रिमाण्ड करने पर तहत न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.11.1997 को निर्णय पारित कर पूर्व निर्णय दिनांक 29.08.1989 को बहाल रखा गया है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में कोई नये तथ्य अपीलाण्टगण के द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश नही किये गये थे। अपीलाण्टगण के द्वारा पेश अपील में वर्णित भूमि में से कुछ भूमि अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम दर्ज होना साबित होती है जिनको प्रकरण में अपीलाण्ट के द्वारा पक्षकार भी नही बनाया गया है। तहत न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में पूर्व आदेश दिनांक 29.08.1989 को यथावत बहाल रखा है जो सही है। चूंकि प्रश्नागत आराजी दीगर व्यक्तियों के नाम दर्ज होने से तहत ने अपने निर्णय में पूर्व आदेश यथावत रखा है। इस प्रकार तहत के द्वारा पारित आदेश/कार्यवाही में कोई त्रुटि साबित नही होती है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति तहत को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़